

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक/एनओसी/2020.....4202

भोपाल, दिनांक.....04/05/2020

प्रति,

प्राचार्य,
इंडेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग,
ग्राम मोरोधात नेमाबार रोड, पोस्ट बावालिया खुर्द,
इंदौर, 452008 म0प्र0।

विषय:- ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2019-20 की स्टेट नर्सिंग कौंसिल की नवीनीकरण मान्यता के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इंडेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंदौर म0प्र0 को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिये कुल 40 सीट्स नवीनीकरण हेतु वर्ष 2019-20 के लिये स्टेट नर्सिंग कौंसिल की अनुमति दी जाती है:-

1. आई.एन.सी. के पाठ्यक्रम के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। टीचिंग फैकल्टी की संख्या आई.एन.सी. के मापदण्ड के अनुरूप होना अनिवार्य है तथा छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण सिलेबस के अनुरूप कराना अनिवार्य है।
2. संस्था को निर्देशित किया जाता है कि आपके यहां कार्यरत नर्सिंग टीचिंग फैकल्टी के बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में कराने के लिये कार्यवाही यथाशीघ्र करें।
3. संस्था को निर्देशित किया जाता है कि ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिये प्रेक्टिकल्स बुक कौंसिल से एवं जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिये प्रोसीजर बुक (Procedure book) आई.एन.सी. से प्राप्त कर प्रत्येक छात्र-छात्राओं को फाइनल परीक्षा के समय प्रेक्टिकल एक्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा प्रेक्टिकल एक्जामिनर से वर्षवार प्रेक्टिकल बुक में हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें। प्रोसीजर बुक की छायाप्रति मान्य नहीं की जावेगी।
4. संस्था का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के समय मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था न पायी जाने पर स्टेट नर्सिंग कौंसिल की एन0ओ0सी0 निरस्त की जा सकती है। जिससे छात्र-छात्राओं के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।


रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल

भोपाल म0प्र0।

भोपाल, दिनांक...../ /2020

क्रमांक/एनओसी/2020.....

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल

भोपाल म0प्र0।